भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3746

18 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

उचित मूल्य की दुकानों को चालू रखना

3746. प्रो. सौगत राय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में उचित मूल्य की दुकानों को चालू रखने को लेकर चिंतित है;

(ख) देश के उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों की आय बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उचित मूल्य की दुकानों के कमीशन में वृद्धि करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) चावल, गेहूं और अन्य अनाजों के लिए उचित मूल्य दुकानों के डीलरों को दी जाने वाली हैंडलिंग लागत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित है। उचित दर दुकानों (एफपीएस) को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों की कार्यपद्धति का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि सहित प्रचालनात्मक संबंधी जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती है।

सरकार, एफपीएस पर मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से एफपीएस डीलरों के लिए अतिरिक्त व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त करके तथा लाभार्थी अनुभव को बढ़ाकर उचित दर दुकानों (एफपीएस) की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने हेतु प्रयास करती रही है। एफपीएस की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे एफपीएस के माध्यम से पहल शुरू करें जैसे जन सेवा केंद्र (सीएससी) सेवाएं, बैंकों/कॉरपोरेट बैंकिंग कॉरसपोंडेंट्स के साथ समझौता करके बैंकिंग सेवाएँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की बैंकिंग और नागरिक केंद्रित सेवाएँ प्रदान करना, छोटे (5 किलोग्राम) एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री करना, अन्य जिंसों/जनरल स्टोर की सामग्री की बिक्री करना आदि।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उप खंड (9) के अनुसार, राज्य सरकार, उचित दर दुकान के प्रचालनों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए उचित दर दुकानों पर टीपीडीएस के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान करेगी।

...2/-

इसके अलावा, 4 शहरों अर्थात हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर और अहमदाबाद में 60 उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए जन पोषण केंद्र संबंधी प्रायोगिक (पायलट) अध्ययन किया जा रहा है। लाभार्थियों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत सरकार ने यह प्रायोगिक (पायलट) कार्यक्रम एफपीएस डीलरों की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए शुरू किया है।

इसके अतिरिक्त, कौशल विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए, इस विभाग ने उचित दर दुकानों के मालिकों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें नए व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक उद्यमिता कौशल से लैस करने हेतु कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया है।

(ग) और (घ): टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश 2015 के खंड 9 के उप-खंड (7) के अनुसार राज्य सरकार उचित दर दुकान के मालिकों को मार्जिन के रूप में राशि निर्धारित करेगी, जिसकी समीक्षा उचित दर दुकान के प्रचालनों की स्थायी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप में की जाएगी।

उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन की वास्तविक दर निर्धारित करने और एफपीएस डीलरों को इसका भुगतान करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार, खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, जो अन्य बातों के साथ-साथ व्यय के मानदंडों और केंद्रीय हिस्सेदारी की पद्धति का प्रावधान करते हैं, एनएफएसए के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और हैंडलिंग एवं उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन के खर्च को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करती है। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, एफपीएस डीलरों के मार्जिन के मानदंडों को संवर्धित किया गया था, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्यों की श्रेणी	एफपीएस मार्जिन का घटक	पूर्व-संशोधित मानदंड (दर रुपये प्रति क्विंटल में) (दिनांक 31 मार्च, 2022 तक)	संशोधित मानदंड (दर रुपये प्रति क्विंटल में) (दिनांक 1.4.2022 से)
सामान्य श्रेणी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवहन और हैंडलिंग	65	70
	एफपीएस डीलर मार्जिन	70	90
	अतिरिक्त मार्जिन	17	21
विशेष श्रेणी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवहन और हैंडलिंग	100	105
	एफपीएस डीलर मार्जिन	143	180
	अतिरिक्त मार्जिन	17	26

तथापि, राज्य सरकारें वास्तविक दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों से अधिक हो सकती हैं। केंद्रीय सहायता, नियमों में विनिर्दिष्ट दरों या पूरे राज्य के लिए वास्तविक औसत दरों, जिस पर राज्य सरकार द्वारा वास्तव में व्यय किया गया था, जो भी कम हों, तक सीमित होगी।

वर्तमान में, सरकार के पास मार्जिन को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****